वीरपाल कौर **बनाम** गुरमेल सिंह
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 60 सन 2024
जी सी एम एस नम्बर 2024/195
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शामिल हुक्म

06.08.2024

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 को रूक-2 कर 3 बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस की गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 26 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 59/66 के मुरब्बा नम्बर 10, 76/3 की कुल 5.250 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थिया वीरपाल कौर के नाम दर्ज 1.012 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 26 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 59/66 के मुरब्बा नम्बर 10, 76/3 की कुल 5.250 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थिया वीरपाल कौर के नाम दर्ज 1.012 हैक्टेयर भूमि में ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस क़दर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)